

नोटबंदी के नौ साल बाद साढ़े तीन करोड़ रुपए बदलने से हाईकोर्ट का इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने रिपोर्टबल जजमेंट में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने या जमा करने की अनुमति देने से इनकार किया, याचिकाएं खारिज की

जोधपुर, (कासं)। नोटबंदी के नौ साल बाद साढ़े तीन करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में 500 और 1०0० रुपए के पुराने नोटों को बदलने या जमा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये नोट अब रद्दी हो गए हैं।

बाड़मेर जिले की दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति ने 16 लाख रुपए के 500 और 1०0० रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए मार्च 2017 में याचिका लगाई थी। इसके अलावा बाद में 6 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) ने भी अपने पुरानी करेंसी के करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए बदलने के लिए अलग-अलग याचिका लगा दी थी। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह

■ **हाईकोर्ट ने दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति, बामनोर, बिसारनिया, खुडाला, पुरावा, भीमथल और मंगता ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सभी याचिकाएं खारिज की**

भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की डिवीजन बेंच ने दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति सहित 7 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक नीतियों में न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत सीमित है। आरबीआई द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों पर लगाई गई रोक जनहित में लिया गया सही फैसला था। कोर्ट ने फैसले में लिखा कि महज कठिनाई या असुविधा, चाहे वह कितनी ही वास्तविक क्यों न हो। किसी वैध आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए

उठाए गए नियामक उपायों को अवैध ठहराने का आधार नहीं हो सकती।

16 लाख से ज्यादा की पुरानी करेंसी :-बाड़मेर जिले की दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति ने याचिका में बताया था कि 8 नवंबर 2०16 को नोटबंदी की घोषणा के समय उनके पास 16 लाख 17 हजार 500 रुपए (5०0 और 1०0० के नोट) की नकदी मौजूद थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ये पैसा किसानों और आम लोगों का है, जो वैध तरीके से समिति के पास आया था लेकिन

आरबीआई ने 14 और 17 नवंबर 2016 को सर्कुलर जारी कर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुराने नोट स्वीकार करने से रोक दिया। वकील ने कहा कि एक ही तरह की अन्य सोसायटियों ने नोट जमा करवा दिए, लेकिन याचिकाकर्ता को अनुमति न देना भेदभावपूर्ण है। इस समिति के अलावा बामनोर, बिसरणि्या, खुडाला, पुरावा, भीमथल और मंगता ग्राम सेवा सहकारी समितियां प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी के रूप में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के जरिए काम करने वाली समितियों ने भी अपने साढ़े तीन करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के लिए याचिकाएं दायर की थीं। इनकी मांग थी कि 14 और 17 नवंबर 2०16 के आरबीआई सर्कुलर को अवैध और आरबीआई एक्ट-1934

की धारा 26 (2) के खिलाफ घोषित कर रह किया जाए, ताकि ये समितियां अपने पुराने नोट जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से जमा करा सकें, या नाबार्ड को नोटों की जांच कर वैधानिक निपटान करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने पाया कि आरबीआई के सर्कुलर मनमाने नहीं थे, बल्कि वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि नाबार्ड की भूमिका केवल पर्यवेक्षी है। वह आरबीआई के बाध्यकारी निर्देशों के खिलाफ जाकर नोटों की जांच या निपटान की अनुमति नहीं दे सकता। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने दुधु ग्राम सेवा सहकारी समिति, बामनोर, बिसारनिया, खुडाला, पुरावा, भीमथल और मंगता ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी।

मारुति सुज़ुकी प्री-ओन्ड कार्निवल से ग्राहकों में उत्साह



कोटा। मारुति सुजुकी टू वैल्यू द्वारा कोटा में आयोजित प्री-ओन्ड कार कार्निवल शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान 200 से अधिक ग्राहकों ने भाग लिया और विभिन्न कारों का टेस्ट ड्राइव किया। कार्यक्रम में

फैमिली गेम्स और मनोरंजक गतिविधियों के कारण अच्छा फुटफॉल देखने को मिला। भाटिया एंड कंपनी एवं स्वालका मोटर्स द्वारा 1०0 से अधिक क्वालिटी सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कारों को प्रदर्शित किया गया, जिन पर 1 वर्ष अथवा 15

हजार किमी. वारंटी एवं 3 फ्री सर्विस की सुविधा दी गई। ग्राहकों के उत्साह को देखते हुए इस कार्निवल को 21 दिसंबर को भी जारी रखा गया। ज्ञात रहे कि वर्तमान में देशभर में 6० लाख से अधिक ग्राहक मारुति सुजुकी टू वैल्यू से जुड़े चुके हैं।

सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश

अलवर, (निस्)। अलवर में सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत के बाद मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल में मृतकों के परिजन और पुलिस आमने-सामने हो गए। परिजनों और ग्रामीणों ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नीलगाय से नहीं, बल्कि विजय मंदिर थाना पुलिस की 112 गाड़ी की टक्कर से हुआ है, जबकि पुलिस नीलगाय से टकराने से हादसा होने की बात कह रही है। इस पूरे मामले में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने भी पुलिस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ड्राइवर को बचाने में लगा है। हालांकि, विजय मंदिर थाना एसएचओ प्रेमलता वर्मा मौके पर पहुंची और परिजनों समझाइश की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस की 112 गाड़ी और ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दे दी है। जिसकी जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम सात बजे के आसपास जटियाना गांव के पास बहरोड़ रोड स्थित मोटल होटल के सामने की है। मृतक रामधन (32) निवासी अमृतवास और उसके चचेरे भाई शेर सिंह (33) के शव अभी तक जिला



मृतकों के फाइल फोटो।

- परिजन का आरोप है कि पुलिस जीप ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी थी**
- पुलिस नीलगाय से टकराने से हादसा होने की बात कह रही है, विजय मंदिर थाना एसएचओ प्रेमलता वर्मा मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश की**

अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। हालांकि, थानाधिकारी की समझाइश के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्यवाई शुरू होने से पहले ही रोक दी गई।

सीओ ग्रामीण शिवानी शर्मा भी मौके पर पहुंची। परिवार की मांग है कि पहले पुलिस की गाड़ी और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कांपी दे, फिर

सांवलिया सेठ के एक माह के भंडार से 29.32 करोड़ का चढ़ावा मिला

मंडफिया, (निस्)। मेवाड़ अंचल के प्रमुख तीर्थ स्थल भगवान श्री सांवलिया जी सेठ मंडफिया के दरबार में गत 18 दिसंबर चतुर्दशी को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती मंदिर बोर्ड अध्यक्ष हजारि दास वैष्णव की उपस्थिति में चौथे चरणों में संपन्न हुई।

मंदिर अध्यक्ष हजारि दास वैष्णव ने बताया कि चौथे चरण में हुई भंडार गिनती में 49 लाख 84 हजार 395 रुपए नगद प्राप्त हुए। इससे पूर्व तीन चरणों में हुई गिनती में 22 करोड़ 30 लाख 85 हजार रुपए नगद प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि चारों चरणों की गिनती को मिलाकर कुल 22 करोड़ 80 लाख 69 हजार 395 रुपए की नगद प्राप्त हुए। अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा भंडार से निकले सोने-चांदी का

तोल भी किया गया। भंडार से 1 किलो 250 ग्राम सोना व 44 किलो 4०0 ग्राम चांदी प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि विभिन्न भक्तों द्वारा मंदिर कार्यालय में 535 ग्राम 91० मिली ग्राम सोना व 55 किलो 444 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप जमा हुई। अध्यक्ष वैष्णव ने बताया कि इसके अलावा विभिन्न भक्तों ने विभिन्न स्थानों से मनी ऑर्डर भेजकर,ऑनलाइन द्वारा एवं स्वयं उपस्थित होकर मंदिर कार्यालय में 6 करोड़ 51 लाख 35 हजार 525 रुपए भेंट जमा किए। भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के एक माह के भंडार एवं भेंट कक्ष कार्यालय से कुल 29 करोड़ 32 लाख 4 हजार 920 रुपए का नगद चढ़ावा मिला। भंडार गिनती में मंदिर अध्यक्ष वैष्णव, मंदिर बोर्ड सदस्य सहित मंदिर कर्मचारी एवं बैंक कर्मी उपस्थित थे।



भंडार गिनती में मंदिर अध्यक्ष, मंदिर बोर्ड सदस्य सहित मंदिर कर्मचारी एवं बैंक कर्मी उपस्थित थे।

बिलेठा में अवैध खनन और क्रेशर को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश

भीलवाड़ा, (निस्)। ग्राम पंचायत बिलेठा के ग्रामीणों ने खनिज विभाग भीलवाड़ा द्वारा जारी माइनिंग लीज 39/2००4 को लेकर गंभीर आपत्तियां जताई हैं।

ग्रामीणों ने मीडिया को बताया और आरोप लगाया कि मैसर्स अर्विन एग्रीगेटर के नाम से जारी यह लीज तथ्यों को छुपाकर और अधिकारियों से मिलीभगत कर हासिल की गई है। यह लीज पटवारा हल्का बिलेठा व पेयजल का प्रमुख स्रोत तालाब स्थित है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर लीज स्वीकृत की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फर्म द्वारा लीज क्षेत्र के अतिरिक्त आसपास की कृषि भूमि पर भी अवैध रूप से खनन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए किसानों पर दबाव बनाकर उनकी भूमि जबरन कब्जाने या औने-पौने दामों पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर ग्रामीणों को डराने-धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि मार्बल

खनन के लिए ली गई लीज पर अवैध रूप से गिट्टी क्रेशर स्थापित किया जा रहा है। इससे क्षेत्र में उड़ने वाली धूल से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ेगा और आसपास की उपजाऊ कृषि भूमि बंजर होने की आशंका है। इससे ग्रामवासियों को आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों स्तर पर भारी नुकसान होगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लीज क्षेत्र के पास ही उनकी धार्मिक आस्था का केंद्र स्थित है, जहां कई परिवार निवास करते हैं। खनन और क्रेशर संचालन से इस धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो ग्रामीणों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार आवश्यक होने के बावजूद ग्राम पंचायत बिलेठा से अनापति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं की गई, फिर भी खनिज विभाग भीलवाड़ा ने माइनिंग लीज जारी कर दी। इस माइनिंग लीज को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

झुंझुनूं में जुआ खेलते चार जने गिरफ्तार

झुंझुनूं, (निस्)। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कॉम्प्लेक्स में दो हजार रुपए दिन का किराया लेकर खेल रहे जुआघर को पकड़ा है। साथ ही चार आरोपियों को रंगे हाथ जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं फ्लेट के मालिक इमरान खान पुत्र इकराम काजी की भी जुआघर चलाने के मामले में आरोपी मानते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है।

शहर कोतवाल श्रवण कुमार ने बताया कि कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोड नंबर तीन पर स्थित जन्नत कॉम्प्लेक्स के दूसरे फ्लोर के फ्लेट नंबर चार में कुछ लोग ताश के पत्तों पर रुपए का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीाने ने मौके पर दबिश दी। जहां चार व्यक्ति

तीन दलित प्रोफेसरों को एपीओ करने पर नाराजगी

अलवर। प्रदेश में एक दलित डिप्टी सीएम, दलित आयुक्त हैं, फिर भी एक ही कॉलेज के तीन दलित प्रोफेसरों को एपीओ करने को लेकर नाराजगी जताई है। जानकारी के अनुसार बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में पदस्थापित डॉ. अशोक कुमार खटीक आचार्य भृगोल, डॉ.महेश चंद्र गोठवाल सहआचार्य लोक प्रशासन एवं सुंदर लाल बसवाल सहायक आचार्य इतिहास को उप शासन सचिव प्रथम के 19.12.2०25 के आदेश के तहत पदस्थान की प्रतीक्षा में अर्थात एपीओ किया गया है, जिसके लिए कोई भी कारण अंकित नहीं किया गया है। तीनों प्रोफेसर अनुसूचित जाति से हैं और अध्ययन, अध्यापन, सहशैक्षिक गतिविधियां तथा प्राचार्य द्वारा समय समय पर प्रदत्त कार्य कुशलता के साथ संपादित करते रहे हैं। डॉ. अशोक कुमार खटीक 9०0०0० पुस्तकों वाले महाविद्यालय पुस्तकालय के प्रभारी हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष की कमी के कारण पुस्तकालय का संचालन कर रहे हैं। डॉ. महेश चंद्र गोठवाल, लोक प्रशासन विभाग में एकमात्र शिक्षक हैं। शोध कार्य भी करंताते हैं। सुंदरलाल बसवाल बहुत ही सक्रिय एवं विद्यार्थियों में लोकप्रिय शिक्षक हैं।